कार्यालय जिला पंचायत कांकेर

(महा)त्मा गाँधी नरेगा शाखा जिला उ.ब.कांकेर(छत्तीसगढ)

zpmgnrega@gmail.com, Phone No. 07868-241039,Toll Free- 1800-233-1545

क्र. 3768 / जि.पं./मनरेगा/लेखा-स्था/ 22-23/ कांकेर, दिनांक 27/06/2023

—o विज्ञापन o—

छत्तीसगढ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, रायपुर के पत्र क्रमांक / 806 / पंग्राविवि / 22 / 2011, रायपुर दिनांक 06.04.2011 के द्वारा दिए गए निर्देशों एवं पदों की स्वीकृती के आधार पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत जिला उत्तर बस्तर कांकेर में **कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा)** के 01 रिक्त पद पर संविदा नियुक्ति हेतु **छत्तीसगढ राज्य के मूल निवासियों से** दिनांक 13/7/2023 .... 2023 को कार्यालयीन समय 5.30 बजे तक साधारण, पंजीकृत डॉक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

आरक्षण रोस्टर अनुसार रिक्तियों की संख्या

अनारक्षित				अजजा				अ.पि.व.				अ.जा.				योग				कुल पद संख्या
मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	विक	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	विक	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	विक	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	विक	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	विक	
01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	01

शैक्षणिक अर्हता एवं मेरिट अंक का निर्धारण

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता	मेरिट हेतु अंक निर्धारण	
प्रथम श्रेणी में MBA/ BE/ MRTM (Master of Rural Technology and Management) / गणित / भौतिक विषय में स्नातकोत्तर	1) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हरता में 100 अंकों का Weightage देते हुये।	70 अंक
	2) शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर 1 से 2 वर्ष के अनुभव पर —05 अंक 2 से 5 वर्ष के अनुभव पर —10 अंक 5 वर्ष से अधिक के अनुभव पर —15 अंक	15 अंक
	3) साक्षात्कार अथवा प्रायोगिक / लिखित परीक्षा	15 अंक
	कुल —	100 अंक

निवासी एवं आयु सीमा :—

आवेदक को छत्तीसगढ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए एवं दिनांक 01.01.2023 की स्थिति में उम्मीदवार की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा के लिए छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी छूट संबंधी आदेश निर्देश इन नियुक्तियों के लिए भी लागू होंगी।

कार्य अनुभव का अंक :—

केवल शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कार्यरत रहने का ही अनुभव मान्य होगा। इसके अतिरिक्त अन्यत्र अनुभव के अंक नहीं दिए जायेंगे। अनुभव का अंक प्राप्त करने हेतु (1). नियुक्ति आदेश की प्रति एवं (2). अनुभव प्रमाण पत्र व अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुभव का लाभ नहीं दिया जावेगा।

र्तें :–

1/ आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ही जमा किया जाना होगा, निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त नहीं होने पर आवेदन अमान्य/अपात्र/निरस्त कर दिया जावेगा, जिस पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होगी।

2/ आवेदक को अपना आवेदन, "मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कांकेर (महात्मा गांधी नरेगा शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर" के नाम व पते पर साधारण डॉक, पंजीकृत डॉक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा किया जाना होगा। आवेदन सीधे कार्यालय में स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

3/ आवेदन पत्र में पासफोर्ट साईज का नवीनतम फोटो चस्पा किया जाना अनिवार्य है। फोटोग्राफ्स की मानक आकार लं–4 से.मी., चौ.–3 से.मी. (रंगीन होगी)।

4/ आवेदकों की संविदा नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी "संविदा नियुक्ति नियम 2012" में निहित शर्तों के अधीन होगी। एवं संविदा अवधि में "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति नियम 2012" के तहत अवकाश की पात्रता होगी।

5/ निर्धारित मापदंडों के अनुरूप छानबीन उपरांत अभ्यर्थियों की प्रारंभिक सूची दावा/आपत्ति के लिए जिला पंचायत की सूचना पटल पर चस्पा किया जाएगा, तदुपरांत पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को 1:10 अनुपात के मान से दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलावा पत्र प्रेषित किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन में अपूर्ण दस्तावेजों के साथ उपस्थित अथवा अनुपस्थित अभ्यर्थी को किसी भी शर्त में दूसरा अवसर नहीं दिया जावेगा।

6/ सर्व प्रथम प्राप्त समस्त आवेदनों की दावा/आपत्ति हेतु पात्र/अपात्र सूची जारी की जावेगी, जिसमें सम्मिलित लिपिकिय त्रुटी के संशोधन हेतु अंतिम व एक ही अवसर दिया जावेगा, इसके पश्चात अभ्यर्थियों के किसी भी जवाब/दावे को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

7/ इसके पश्चात अनुपातिक रूप से आहुत अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जावेगा, इनमें से पात्र अभ्यर्थियों को ही उच्चतम योग्यता के आधार पर साक्षात्कार अथवा प्रायोगिक/ लिखित परीक्षा के लिए चयनित किया जावेगा, जिस हेतु अभ्यर्थियों को पहचान हेतु फोटो आइडी के रूप में आधार अथवा पैन कार्ड लाना अनिवार्य होगा।

8/ सत्यापन में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा, अभ्यर्थी स्वयं अपनी व्यवस्था एवं व्यय से नियत स्थल पर नियत समयावधि में उपस्थित होंगे।

9/ चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाए जाने पर उनका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी।

10/ कोई भी अभ्यर्थी जिसकी पहले से 02 जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये योग्य नही होगा। साथ ही छ.ग. सिविल सेवा सेवा की सामान्य शर्ते नियम 1961 में नियुक्ति के लिये अनर्हताऐं भी लागू होगी ।

11/ आवेदन पत्र के साथ 9X4 साइज का 02 लिफाफा, जिस पर ₹25–₹25 रूपये का डाक टिकट चस्पा हो संलग्न करना अनिवार्य है।

लिफाफे के उपर आवेदित पद का नाम, स्वयं के जाति /वर्ग विशेष, व कार्यालय का स्पष्ट पता का उल्लेख करना आवश्यक होगा।

13/ आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों को राजपत्रित अधिकारी अथवा स्वयं के द्वारा सत्यापित करना अनिवार्य होगा साथ ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक तक वांछित शैक्षणिक योग्यता पूर्ण होना अनिवार्य है, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत किसी भी प्रकार की कोई शैक्षणिक योग्यता पृथक से जोंड़ा या लिया नहीं जाएगा।

14/ आवेदन पत्र के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी होने के संबंध में सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र जमा किया जाना होगा।

15/ इसी प्रकार दिव्यांगजनों को मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र जमा किया जाना होगा।

16/ आवेदक को रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र लगाया जाना अनिवार्य है, इसके सत्यापित प्रति संलग्न नहीं होने की स्थिति में आवेदन अमान्य/अपात्र अथवा निरस्त किया जावेगा।

17/ आरक्षण का लाभ लेने के लिए उच्च स्तरीय छानबीन समिति से सत्यापित अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी की गई स्थाई जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

18/ उपरोक्त पद के लिए एकमुश्त मानदेय दिया जावेगा, इस मानदेय पर विशेष वेतन, महंगाई भत्ता क्षतिपूर्ति भाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जाएगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वित्त विभाग से प्राप्त स्वीकृती व शासन निर्देशों के आधार पर मानदेय वृद्धि की पात्रता होगी।

19/ आवेदक जिन्हें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित किसी भी योजना से पूर्व में अनियमितता के आधार पर किसी भी पद से पृथक किया गया होगा, या उनकी उनकी संविदा सेवावृद्धि निरंतर नहीं की गई है, वे पात्र नहीं माने जायेंगे। इस संबंध में गलत जानकारी दिए जाने पर नियुक्ति के पश्चात भी उम्मीदवारी किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।

20/ संविदा नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होगी तत्पश्चात आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि 1 वर्ष के लिए निरंतर रखे जाने पर विचार किया जावेगा।

21/ मनरेगा योजनांतर्गत आकस्मिक राशि श्रृजन के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान व नियुक्ति आदेश जारी किये जाने के पूर्व विज्ञापित पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

22/ नियुक्ति प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की आपत्ति का निराकरण, कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा द्वारा किया जावेगा, साथ ही आवेदन में सहमति देने का आशय यह होगा कि, लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

23/ उक्त विज्ञापन/नियुक्ति आरक्षण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर रिट पिटिशन के अध्याधीन रहेगा, एवं उक्ताशय के संबंध में पारित आदेश नियुक्त उम्मीद्वारों पर बंधनकारी रहेगा।

24/ चयन होने के पश्चात, चयनित अभ्यर्थि को नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा, जिसके आधार पर अभ्यर्थी को नियोक्ता के साथ करार पत्र (अनुबंध पत्र) निष्पादित करना होगा।

अन्य कार्यालयों में कार्यरत अभ्यर्थियों को कार्यरत संस्था से नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं संस्था प्रमुख द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उक्त के अभाव में अभ्यावेदन मान्य नही होगा।

26/ आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालयीन समय पर जिला पंचायत की सूचना पटल पर अथवा जिले की वेबसाइट www.kanker.gov.in पर देखी जा सकती है।

27/ इसके साथ ही जवाब/दावे हेतु प्रारंभिक पात्र/अपात्र सूची, बुलावा पत्र की सूची, मैरीट सूची, चयन सूची एवं भर्ती से संबंधित समस्त जानकारी केवल और केवल जिले के वेबसाइट www.kanker.gov.in पर ही अपलोड की जावेगी। किसी भी अभ्यर्थि को समय पर सूचना नहीं मिल पाने अथवा संपर्क नहीं हो पाने की स्थिति में इस कार्यालय की जवाबदारी नहीं होगी।

कलेक्टर
एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक–मनरेगा
जिला पंचायत, उ.ब.कांकेर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार

र्यक्रम अधिकारी (मनरेगा–संविदा) के पद हेतु आवेदन (प्रारूप)

स्वहस्ताक्षरित नवीनतम फोटो (लं.–4सेमी, चौ.3सेमी)

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
(महात्मा गांधी नरेगा योजना)

1. आवेदक का नाम (अंग्रेजी कैपिटल लैटर में) – ....
(हिन्दी में) – ....
2. पिता / पति का नाम – ....
3. (अ) जन्म तिथि – ....
(ब) दिनांक 01.01.2023 को आयु – दिन .... माह .... वर्ष ....
4. जाति (प्रमाण पत्र संलग्न करें) – ....
5. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता – ....
....
....
(ब) स्थायी पता – ....
....
....
6. अनुभव (क). शासकीय ग्रामीण योजनाओं में – अवधि ....से .... (कुल.........वर्ष .... माह)
(ख). नियोक्ता से अनापत्ति – क्रमांक .... दिनांक ....
7. (क). रोजगार पंजीयन – क्रमांक .... दिनांक ....
(ख). वैधता तिथि – ....
(ग).रोजगार कार्यालय का नाम – ....

8. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता – क्रमशः दसवीं(जन्मतिथि हेतु), स्नातक व स्नातकोत्तर

क्र	परीक्षा का नाम	वर्ष	बोर्ड/विवि का नाम	विषय	पुर्णांक	प्राप्तांक
1	2	3	4	5	6	7

9. राष्ट्रीयता — ....

10.विवाहित / अविवाहित — ....

11.विवाह की तिथि — ....

12.जीवित बच्चों की संख्या — ....

13.मोबाईल नंबर — ....

14.आवेदक का कोई न्यायालयीन प्रकरण है, — ....

यदि है तो उसका संपूर्ण विवरण ....

15.संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची (स्वप्रमाणित होना चाहिए)

01. .... 06. ....

02. .... 07. ....

03. .... 08. ....

04. .... 09. ....

05. .... 10. ....

दिनांक — ....
स्थान — ....

....
आवेदक का हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता / करती हूं कि मैने विज्ञापन में दिए गए सभी निर्देशों व शर्तों को ध्यान से पढ़ और समझ लिया है। इस आवेदन पत्र में दिए गये सभी प्रविष्टियां सत्य और सही हैं, मुझे मालूम है कि यदि कोई जानकारी असत्य एवं गलत पायी जावेगी तो मेरा आवेदन निरस्त किया जावेगा, और चयन के उपरांत भी मेरी नियुक्ति निरस्त की जावेगी, जिसके विरूद्ध मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई दावा / आपत्ति नहीं की जावेगी, व मुझे मान्य होगा। मैं संलग्न प्रमाण पत्रों की, मूल प्रति मांगे जाने पर प्रस्तुत करूंगा।

दिनांक — ....
स्थान — ....

हस्ता ....

नाम ....

पता ....

....